Our difficulty is...(*Interruptions*)... No, we have briefed all your leadership on this matter in great detail only before....

SHRI NILOTPAL BASU: What I am saying is that funeral has been attacked.

SHRI K. NATWAR SINGH: I am just coming to that. Regarding the funeral of the lady you mentioned, I really don't have the details, but we will find out the details as to what has happened. I think, it is deplorable, and it is very sad indeed. Our difficulty is that because of the unique relationship with Nepal, because of being a sovereign country, our country is a huge country, has historical links with them, India had all the leverages; we have not used any of them. We want to resolve this in an amicable and friendly manner as we possibly can, so that democracy is restored, Maoists are contained, political process starts and the people of Nepal do not suffer in any way. That is our policy.

Alleged tapping of telephone of Chief Minister of a State

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद महोदय, मैं एक बहुत ही पीड़ा का सवाल उठा रहा हूं। एक राज्य के मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य आना कि उनका टेलीफोन टेप हो रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

हम लोगों का संविधान पूरा फेडरल तो नहीं, लेकिन क्वेसी फेडरल है। मैं चाहता था कि प्रधानमंत्री जी यहां रहते और इस स्थिति की गंभीरता पर सोचते। यह एक सूबे, सबसे बड़े सूबे की बात है। यह कौंसिल ऑफ स्टेट है, यहां हम लोग अपने-अपने सूबे का रिप्रेजेन्ट करते हैं। अगर संविधान का ढांचा चरमरा जाए, किसी सूबे का मुख्यमंत्री यह मान ले कि उसका शासन चलाने में टेलीफोन टेप हो रहा है, तो यह गंभीर बात है। यह टेलीफोन के अंदर का विषय है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस पर वक्तव्य आना चाहिए और जांच होनी चाहिए। हम जानते हैं कि टेलीफोन टेप के कई केसिस पहले भी हो चुके हैं, हेगड़े साहब को तो एक बार इस्तीफा भी देना पड़ा था। पहले हमने पढ़ा कि अमर सिंह जी का टेलीफोन टेप हो रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन टेप होने का सुना तो यह व्यवस्था, जिसमें हम स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य का निष्पादन कर सकें, लगता है उसमें कहीं बाधा डाली जा रही है। एक इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री यह बात बोल दे तब उसके लिए बहुत मुश्किलात की बात हो जाएगी। टेलीफोन टेप हो सकता है, शायद यह आपकी जानकारी में न हो, लेकिन यह सही है कि आपके खुफिया विभाग के एक पूर्व अधिकारी को वहां का राज्यपाल बना दिया। उसके काम करने का अपना ढंग हो सकता

है। यह हो सकता है कि हम लोगों को और कुछ सबूत मिलें। वे अधिकारी जो टेप करते हैं, वे तक आकर कह गए हैं कि आप लोगों का टेलीफोन टेप हो रहा है। आज हमें मजबूर होकर यह बात कहनी पड़ी है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो मुख्यमंत्री जी से उनका समय निर्धारित कराएं। इसमें उन अधिकारियों के नाम तक बताए जा सकते हैं। लेकिन वे केवल प्रधानमंत्री को ही बताए जा सकते हैं, वरना उनकी नौकरी जा सकती है, हमारी जानकारी के स्रोत जा सकते हैं। यह प्रधानमंत्री जी को बताया जा सकता है, गृह मंत्री जी को बताया जा सकता है। एक बड़े पैमाने पर, इतने बड़े सूबे, जिसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहां बैठे हैं, यह संविधान के ढांचे का सवाल है। इसमें कोई फेडरल कैरेक्टर चल ही नहीं सकता है। इसको गंभीरता से लेना होगा और गंभीरता से लेने के बाद हम चाहेंगे कि जो कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की शिकायत करने का मौका न मिले। धन्यवाद।

†**मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी:** उपसभापति जी, यह बहुत गंभीर मसला है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।

†مولانا عبیداللہ خان اعظمی: آپ سبھاپتی جی، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے اس کی جانچ ضرور ہونی چاہئے۔

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): श्रीमन्, इसके बारे में मीडिया में जो रिपोर्ट आई है, वह मैंने देखी है। इसके संबंध में मुख्यमंत्री या दूसरे जो सम्माननीय सदस्य हैं, उनके पास से डिटेल में जानकारी आने पर हम इसकी गहराई से अवश्य जांच-पड़ताल करेंगे। अगर वह नहीं आया आज जो स्टेटमैंट यहां दिया गया है, तो उसकी भी जांच-पड़ताल करवाएंगे। मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि यह बात मीडिया में आने के पश्चात् हमने मौखिक रूप से कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है और उन्होंने मौखिक रूप से हमें बताया है कि यह बात सही नहीं है। जब किसी का फोन टेप किया जाता है तो फोन टेप की विनती करने के लिए कुछ ही अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा सकता है।

दूसरा, हर आदमी फोन टैप करने के लिए नहीं कहता है। जो अधिकारी यह कहते हैं, वे डायरेक्टली टेलीफोन और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों को यह नहीं बोल सकते हैं। यह बात होम सेक्रेटरी के पास जाती है और फिर होम सेक्रेटरी उन अधिकारियों को बोलते हैं। अगर यह बात स्टेट में हो रही है, तो स्टेट में दूसरा कोई भी आदमी हो, उसके कहने पर फोन टैप नहीं किए जाते हैं। अगर स्टेट में यह होना है, तो वहां फोन टैप करने के लिए वहां के होम सेक्रेटरी के पास जाना जरूरी है और होम सेक्रेटरी ही फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के लोगों को कह सकते हैं कि इस प्रकार की मालूमात हमें पहुंचाई जाएं। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या हुआ है, जहां तक हमारे सूत्रों से जो मालूमात मिले हैं, मैंने जो जानकारी ली है, हमको जो बताया गया है और मैं उनके कहने के आधार पर ही कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहां का जो सवाल है, केन्द्र का जो सवाल है, मैंने इसके बारे में जांच-पड़ताल करने की कोशिश की है और मौखिक रूप से यहां भी

†] Transliteration of Urdu Scrip.

हमको कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे होम सेक्रेटरी नए आए हैं, वैसे वे पुराने सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मैंने कहा और जितनी जांच-पड़ताल वे कर सकते थे, वह उन्होंने की है, यहां से भी इस प्रकार के कोई कदम उठाए गए हैं, ऐसा हमको नहीं बताया गया है और आज इस हालत में जो मालूमात मेरे पास हैं, मौखिक रूप से मेरे पास जो मालूमात हैं, उनके आधार पर मैं नम्रता से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो खबर आई है कि किसी के फोन टैप हुए हैं, शायद यह सही नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र: उपसभापति जी, गृह मंत्री जी इसको डिबेट का विषय बनाना चाहते हैं क्योंकि इसमें वे दोहरी बात बोल रहे हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि अभी उनको ठीक जानकारी नहीं है, मौखिक तौर पर कुछ जानकारियां मिली हैं और उन जानकारियों के आधार पर वे कह रहे हैं कि यह बात सच नहीं हैं

श्री उपसभापति: उसके बाद उन्होंने कहा कि वे इसे further investigate करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र: यह इतना vague जवाब है। अगर जानकारी नहीं है, तो नहीं है, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, लेकिन मौखिक तौर पर जानकारी मिली है और उससे मैं कह सकता हूं कि यह बात सत्य नहीं है, यह डिबेट का प्वाइंट इन्वाइट करना होता है और हम समझते हैं कि गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठकर इस तरह से सदन में बहस को इन्वाइट करना ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जाकर क्या बयानबाजी करते रहे हैं, हम उसकी चर्चा करें। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम चाहेंगे कि जब वे गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, जिस पर कभी पटेल साहब बैठे थे, तो हम चाहेंगे कि वे एकतरफा बयान दिया करें, पूरी जानकारी लेने के बाद बोलें, मौखिक तौर पर क्या जानकारी मिली, इस पर बयान न दें और अंतिम राय अंतिम वाक्य में न बोल दिया करें, इतना हम जरूर निवेदन करेंगे।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: उपसभापति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी सुना है, वह समाचारपत्रों के माध्यम से सुना है। अगर मुख्यमंत्री जी का मेरे पास कोई लैटर आ जाता या वे मेरे साथ टेलीफोन पर बात करते, तो वह दूसरी बात होती। यहां पर एक सम्माननीय सदस्य उठकर जो कुछ भी कह रहे हैं,उसे हम लिखित रूप में किया हुआ बयान मानकर चलेंगे और उसके अंदर गहराई में जाकर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं, तो फिर मैं लिखित रूप में आपके हाथ में खुद का बयान देने के लिए तैयार हूं। हम न असत्य कह रहे हैं, न गलत कह रहे हैं, आज के हालात में हमको जो मालूमात हैं, उनके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमको बताया गया है कि इस बारे में शायद गलतफहमियां हो सकती हैं, यह बात सही नहीं है।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): क्या माननीय गृह मंत्री जी को पता है कि एक ऐसा संयंत्र बन गया है, जिसको लेकर विदेशी रक्षा कंपनियों के लोग घूम रहे हैं और उस संयंत्र के माध्यम से आपके घर के सामने और मेरे घर के सामने, मुझे भी उसमें दिखाया गया है, इसके माध्यम से किसी का भी फोन टैप किया जा सकता है, आपका भी टैप किया जा सकता हैं यह एक छोटा सा संयंत्र है जो 5-6 लाख रुपए में मिलता है और केवल मोबाइल फोन ही नहीं, बल्कि SMS मैसेज भी इस संयंत्र के

द्वारा आ जाते हैं। इसके लिए न तो प्रदेश के गृह सचिव के पास जाना है, न केन्द्रीय गृह सचिव के पास जाना हैं अगर आपको उसका प्रैजेंटेशन चाहिए, तो मैं वह संयंत्र लाकर उसका प्रैजेंटेशन भी दिखा दूंगा।

श्री उपसभापति: उसमें सरकार क्या करेगी।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: यह जो टेक्नोलॉजी की बात है, मैं उसके बारे में बहस नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो वह ठीक है, मगर केन्द्रीय सरकार के कहने पर या स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर यह हुआ है, हमें आपने जो बताया है, वह बात आजकल के जमाने में बहुत जगहों पर सही निकल रही है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि यह सरकार के कहने से उठाया गया है आपने कहा है, आप माननीय सदस्य हैं, आपके कहने को हम बिल्कुल बाजू में रख कर नहीं चलेंगे, उसके अन्दर देख कर हम बता देंगे।

Need to desist from recognising new craft union in Air India by the Ministry of Labour

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Just mention the issue only. Please do not make a debate.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, this is a very serious matter in respect of arbitrary and illegal acts of the Labour Ministry officials. A strike by a section of the people yesterday has resulted in huge loss and damage to Air India. Sir, in our country, there is no specific law for recognition of trade unions. What we follow is that the recognition of trade unions is regulated by the consensus arrived at the Indian Labour Congress. The Indian Labour Congress adopted a Code of Discipline to which all Central trade unions are parties and the Code is accepted by the employers, trade unions as well as the Government. That is the existing policy of the Government of India. Sir, the set Code of Discipline is very specific that no recognition be given to the craft trade unions and the craft trade unions are never encouraged. Sir, here in the case of the Air India, what the Labour Ministry offciials have done is, they have violated this Code of Discipline and ordered election to recognise a craft union at the behest of a splinter union. They have carved out two constituencies, technicians and non-technicians. It has created a very big problem also. They have also prepared an electoral roll. It is very interesting to note whether it is within the authority of the Labour Ministry to decide who is technician and who is non-technician. The Air India management has given an electrol roll and